न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 11/2016 एफ.एस.एस. एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा । –

आवेदक–

बनाम

1. श्री आशीष कुमार पुत्र श्री महेश कुमार ताम्बी विकेता मैसर्सः– आशीष ट्रेडर्स, राज बाजार बांदीकुई जिला–दौसा।
2. श्री मणिभद्र जैन
3. श्री सुभद्र पापडीवाल
4. श्री प्रदीप भट्ट, पार्टनर मैसर्सः– श्री कैमीकल्स एण्ड होम प्रॉडेक्टस, 1905 श्री सदन हल्दियों का रास्ता जयपुर।
5. श्री मणिभद्र जैन
6. श्री भद्र पापडीवाल
7. श्री सुभद्र पापडीवाल
8. श्री प्रदीप भट्ट पार्टनर मैसर्सः– श्री ईडीबलस प्रा0लि0 जी–26, सीतापुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर ए–68ए, रोड नं0 1 वीकेआई एरिया, सीकर रोड जयपुर।

– अभियुक्तगण–

एफएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
: श्री संतोष गोतम अधिवक्ता अभियुक्त सं0 1 लगायत 8 उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 4.4.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि कम सं0 1 पर अंकित मुल्जिम मैसर्स आशीष ट्रेडर्स राज बाजार बांदीकुई का विकेता एवं मालिक है। कम सं0 2,3,4 पर अंकित मुल्जिम मैसर्स श्री कैमीकल्स एण्ड होम प्रॉडेक्टस, 1905 श्री सदन हल्दियों का रास्ता जयपुर के पार्टनर है तथा कम सं0 5,6,7,8 पर अंकित मुल्जिम मैसर्स श्री ईडीबलस प्रा0लि0 जी–26, सीतापुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर ए–68ए, रोड नं0 1 वीकेआई एरिया, सीकर रोड जयपुर के पार्टनर है। जो खाद्य पदार्थ के पैकिंगकर्ता व निर्माता है।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि कम सं0 1 पर अंकित मुल्जिम मैसर्स आशीष ट्रेडर्स राज बाजार बांदीकुई का विकेता एवं मालिक है। कम सं0 2,3,4 पर अंकित मुल्जिम मैसर्स श्री कैमीकल्स एण्ड होम प्रॉडेक्टस, 1905 श्री सदन हल्दियों का रास्ता जयपुर के पार्टनर है तथा कम सं0 5,6,7,8 पर अंकित मुल्जिम मैसर्स श्री ईडीबलस प्रा0लि0 जी–26, सीतापुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर ए–68ए, रोड नं0 1 वीकेआई एरिया, सीकर रोड जयपुर के पार्टनर है। जो खाद्य पदार्थ के पैकिंगकर्ता व निर्माता है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.5.2015 को प्रातः 10.00 बजे मैसर्स आशीष ट्रेडर्स राज बाजार बांदीकुई जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री आशीष कुमार पुत्र श्री महेश कुमार ताम्बी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विकता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया जो संलग्न है।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में चार कार्टून में 750 एम.एल पैकिंग में पैक बोतल गुलाब शर्बत (श्री) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर पर इसमें से एक कार्टून खोलकर चार मूल पैक बोतल गुलाब शर्बत (श्री) नमूने की जांच हेतु खरीदी जिनकी कीमत 432 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विकेता) एफ. बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को गुलाब शर्बत (श्री) की मूल पैक बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग खाकी कागजो में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए. जी–1059 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. (विकेता) को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.5.2015 को खाद्य विशलेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज. जयपुर के यहां जमा करवाये , जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.5.2015 को डी.ओ. सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.5.2015 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब शर्बत (श्री) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/828/एक्ट/2015/521 दिनांक 03.6.2015 डी.ओ. व सी. एम.एच. ओ. दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई । जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब शर्बत (श्री) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब शर्बत (श्री) का नमूना जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया जाने पर आवेदक ने उक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त कागजात श्रीमान डी. ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को प्रस्तुत किये। जिन्होने समस्त कागजात का अध्ययन कर आवेदक को न्याय निर्णय आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत किया जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब शर्बत (श्री) के निर्माता व विपणनकर्ता ने मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना धारा 52 में निर्धारित है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करे ।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अभियुक्तगण की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब शर्बत (श्री) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/ 828/ एक्ट / 2015/521 दिनांक 03.6.2015 के अनुसार नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जवाब बहस में अधिवक्ता अभियुक्त सं0 1 लगायत 8 द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक द्वारा खाद्य विलेशषण रिपोर्ट के Description में यह लिखते हुए मिसब्राण्ड किया है कि Sample in a sealed and intact Duplex box having company packed Narrow Mouth Glass Bottle of 750 ml printed on Lable Photo of Gulab, Which is Misleading product is a synthetic Sharbat Contraventaion of Regulation 2.3.1(5) of Food safety and Standards (packaging & Labeling) Regulation 2011. खाद्य विश्लेषक ने Food safety and Standards packaging & Labeling Regulation 2.3.1(5) की गलत व्याख्या करते हुए नमूने को मिसब्राण्ड घोषित किया है। नमूने की बोतल पर दिये गये List of gradient में साफ–साफ लिखा है कि गुलाब शर्बत में 10 प्रतिशत गुलाब जल (ताजा गुलाब के फूलों से निकाला हुआ extract) मिलाया गया है। जब गुलाब शर्बत में Natural गुलाब जल मौजूद है तो गुलाब फोटो लेबल पर दर्शाना Food safety and Standards packaging & Labeling Regulation 2.3.1(5) कतई उल्लंघन नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाकर प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 11/2016 एफएसएसए

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट में printed on Lable Photo of Gulab, Which is Misleading अंकित किया है किन्तु अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य कि List of gradient के अनुसार गुलाब शर्बत में 10 प्रतिशत गुलाब जल (ताजा गुलाब के फूलों से निकाला हुआ extract) मिलाया गया है, के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना का लेबल Misleading होना प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण (अभियुक्तगण) के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाकर प्रकरण ड्रोप किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 4.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 8728-32
दिनांकः- 13.4..2018

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।
3. श्री आशीष कुमार पुत्र श्री महेश कुमार ताम्बी विकेता मैसर्सः- आशीष ट्रेडर्स, राज बाजार बांदीकुई जिला-दौसा।
4. श्री मणिभद्र जैन, श्री सुभद्र पापडीवाल, श्री प्रदीप भट्ट, पार्टनर मैसर्सः- श्री कैमीकल्स एण्ड होम प्रॉडेक्टस, 1905 श्री सदन हल्दियों का रास्ता जयपुर।
5. श्री मणिभद्र जैन, श्री भद्र पापडीवाल, श्री सुभद्र पापडीवाल, श्री प्रदीप भट्ट पार्टनर मैसर्सः- श्री ईडीबलस प्रा0लि0 जी-26, सीतापुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर ए-68ए, रोड नं0 1 वीकेआई एरिया, सीकर रोड जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official